



2026: AHC : 52265-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 471/2026**

किट्टू वर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

---

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : शारदा प्रसाद मिश्रा

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

---

**न्यायालय संख्या - 45**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता**

**माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में, विवेचना पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

**16 मार्च, 2026**

ज़फर

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।